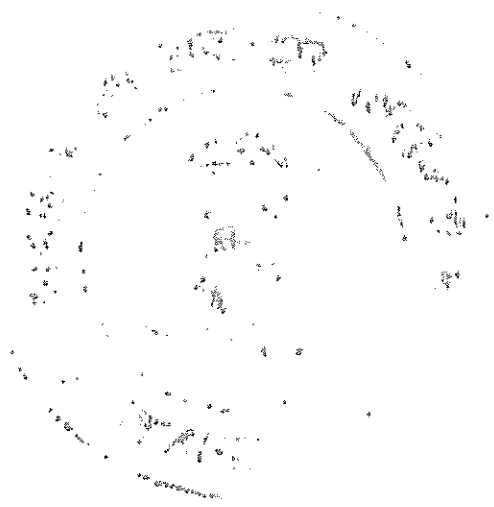




आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT



भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

BANSHI LAL

BUDDHA

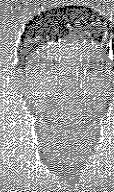
08/07/1985

Permanent Account Number

APRPL3557M

बंशी लाल

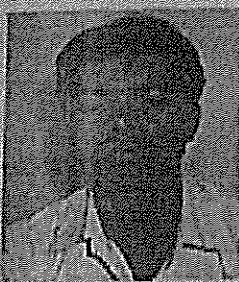
Signature



08/07/1985

बंशी लाल

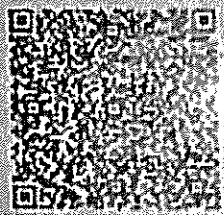
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



बंशी लाल
Banshi Lal

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1985
पुरुष / Male

7703 7776 5231



आधार — आम आदमी का अधिकार



भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता : S/O बुद्धा, .. अमोल, काली
पश्चिम, काली पश्चिम, लखनऊ, उत्तर
प्रदेश, 227306

Address: S/O BUDDHA, ..
Amol, KALLI PASHCHIM, Kalli
Pashchim, Lucknow, Uttar
Pradesh, 227306


1947
1800 180 1947


help@uidai.gov.in


www.uidai.gov.in


P.O. Box No. 1947
Bengaluru-560 001

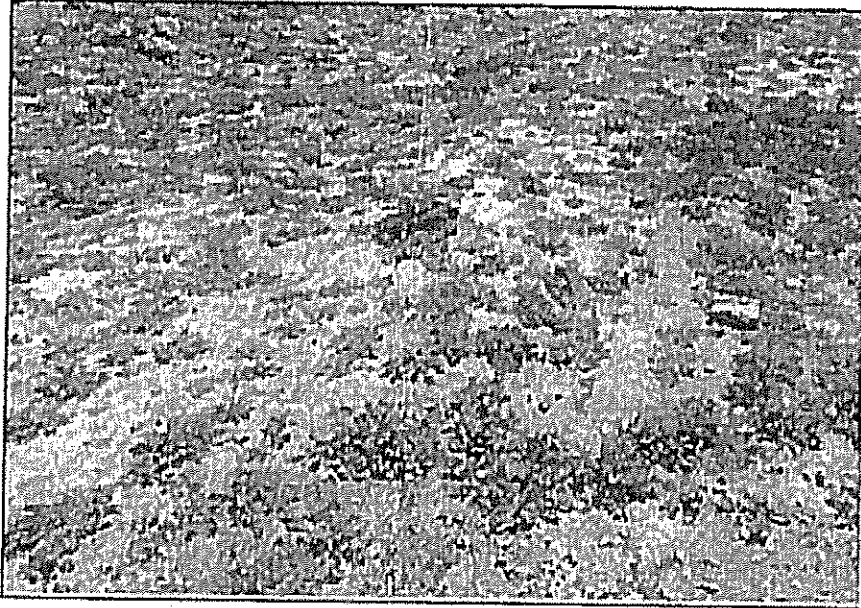
अंशलिखित
8756272379



Handwritten signature



भूमि खसरा सं०-101 रकबा 0.1260 हे० व खसरा सं०-102 रकबा 0.3790 हे० कुल 2 किता रकबा 0.5050 हे० का 1/2 भाग अर्थात् कुल विक्रीत रकबा 0.2525 हे० स्थित ग्राम-जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।



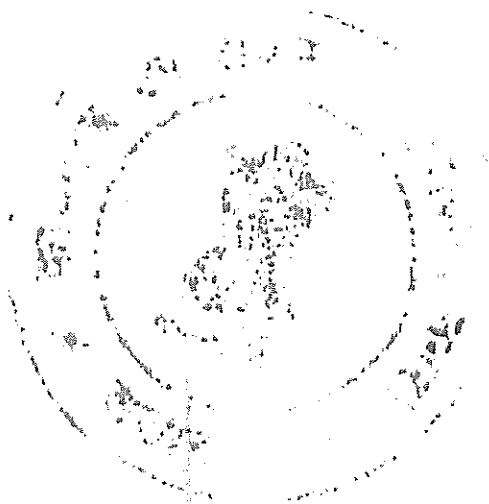
जैश्री लाल

विक्रेता

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

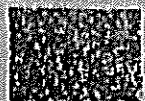

Authorised Signatory

क्रेता



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

 आशीश सिंह
Ashish Singh
जन्म तिथि/DOB: 17/06/1985
पुरुष / MALE



7970 5770 4208

आधार-आम आदमी का अधिकार

 भारतीय जनता पार्टी
UNOBBE NARAYAN NARAYAN SINGH OF INDIA

पता:
आश्विन: हरिवंश नारायण
मिह, 118, नारायणपुर
मुन्तासिर, मुन्तासिर,
मुन्तासिर,
उत्तर प्रदेश - 228001

Address:
Mr. Ashwin Narayan Singh, 118
Narayanpur, Munthasir, Bareilly
Uttar Pradesh - 228001

7970 5770 4208

Aadhaar-Aam Admi ka Adhkar

*PA
Sany*



भारत सरकार

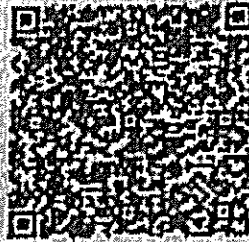


रणवीर सिंह यादव

Ranveer Singh Yadav

जन्म तिथि/DOB: 25/07/1974

पुरुष / MALE



5771 1717 1576

आधार - आम आदमी का अधिकार

Handwritten signature



आधार

आधार - आम आदमी का अधिकार

पता:

S/O बाबू लाल, 39, नूर नगर

भदरसा, चंद्रावल, लखनऊ,

उत्तर प्रदेश - 226002

Address:

S/O Babu Lal, 39, Noor Nagar

Bhadersha, Chandraval,

Lucknow,

Uttar Pradesh - 226002

5771 1717 1576

आधार

आधार

आधार

आधार

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, सरोजनीगर, जिला-लखनऊ,

प्राइमैसी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री आशीष सिंह

वादी

बनाम

बंशी लाल

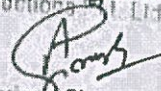
प्रतिवादी

मुकदमा दाखिल खारिज ग्राम जैतीरपुर, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ।

मैं, शपथी प्राइमैसी कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री आशीष सिंह, का हूँ सशपथ पूर्वक बयान करता हूँ।

1. यह कि शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरे नाम व मेरे सम्मिलित परिवार के सदस्य के नाम सम्मिलित व अलग-अलग बादग्रस्त भूमि को मिलाकर 12.5 एकड़ से अधिक भूमि नहीं है। जहाँ-जहाँ वह अधिनियम लागू है सम्पूर्ण भारत वर्ष में।
2. यह कि उपरोक्त बाद में उ०प्र० राजस्व संहिता 2006 की धारा के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं होता है।
3. यह कि उपरोक्त शपथ-पत्र हाजा धारा 1 से 3 तक बयान बिल्कुल सत्य है, कोई भेद छुपाया नहीं गया है।

दिनांक 03/01/2023

शपथी 
Authorised Signatory

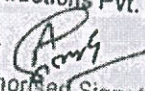
प्रमाणीकरण

मैं उपरोक्त शपथी प्रमाणित करता हूँ कि शपथ-पत्र मेरे निजी ज्ञान से सत्य व सही है। हलफनामा आज दिनांक 03/01/2023 को अन्दर अहाता अदालत को अपना हस्ताक्षर बनाया है।

दिनांक 03/01/2023

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

V.K. Srivastava (Adv)
Jipin Kumar Srivastava
Advocate

शपथी 
Authorised Signatory

Oath Commissioner
Collectorate Court, Lucknow

I know and identify the deponent who has signed/put T.I. before me.

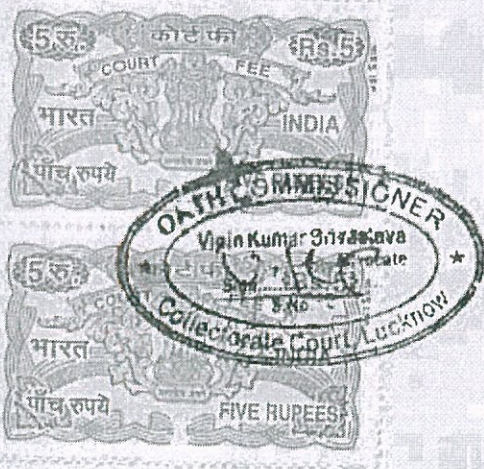
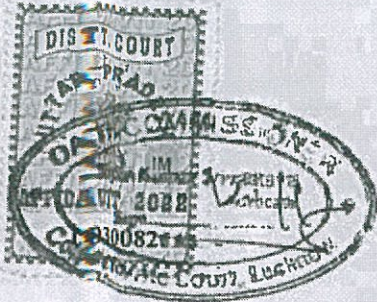
03/01/2023

Deponent appeared before me in office hours

at 11:15 AM by Shri. Bansilal
the is identified by Shri V.R. Singh (Adv)
Clerk to Shri

have satisfied myself by examining the deponent that he understands the contents of the affidavit which has been read out and explained by me to him/her date:

03/01/2023



आर० सी० प्रपत्र-11

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-34 के अन्तर्गत भूमि के अन्तरण

सेवा में,

तहसीलदार महोदय,

तहसील सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ।

1-आवेदक का नाम-

Primacy Construction Pvt Ltd through Authorized
Signature Mr. Ashish Singh

2-हस्तांतरण के द्वारा अर्जित भूमि का विवरण-

Plotland Khadranu 1st / 0.1260 and 1st / 0.1260
1/2 Share - 0.2525 Hectare situated at
Village Jantakda Panchayat Bynore Tehsil-Jyoti
Nagar Lucknow

3-अन्तरणकर्ता का नाम व पता-

4-अंतरीतियों का नाम, पितृ नाम, और पता (यदि कोई हो)

Banshal Ro Budhha Ro Daul
Kallipgum Uo

5-हस्तांतरण की प्रकृति-

विक्रय विलेख

6-अन्तरण विलेख के निष्पादन की तिथि -

04/02/2023

7-प्रतिफल धनराशि रु०-

8-अन्य कोई विवरण

दिनांक-

04/02/2023

आर० सी० प्रपत्र-13

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा-361 के अन्तर्गत सूचना

सेवा में,
तहसीलदार महोदय,
तहसील सरोजिनी नगर, जिला लखनऊ।

चूँकि निम्न विलेख जो किसी के अधिकार का सृजन अथवा किसी के अधिकार का समन अथवा कोई भार अधिरोपित करता है, पंजीकरण अधिनियम-1908 के अन्तर्गत दिनांक को पंजीकृत हुआ है।

1-आवेदक का नाम -

2-हस्तांतरण के द्वारा अर्जित भूमि का विवरण- Primacy Construction Pvt Ltd Through Authorized Signatory Mr. Anshu Singh

3-अन्तरणकर्ता का नाम व पता-

Banshal No Budhha

4-अंतरीतियों का नाम, पितृ नाम, और पता (यदि कोई हो)

5-हस्तांतरण की प्रकृति-

विक्रय विलेख

6-अन्तरण विलेख के निष्पादन की तिथि -

04/02/2023

7-प्रतिफल धनराशि रु०-

8-अन्य कोई विवरण

दिनांक- 04/02/2023

निबन्धन अधिकारी

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार, सरोजनीनगर, जिला लखनऊ

नोटिस

विक्रेता का विवरण	क्रेता का विवरण
श्रीमान सुनील कुमार (पति) पत्नी - विनोद तहसील सरोजनीनगर जिला - लखनऊ	प्राइमैसी कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (Primacy Constructions Private Limited (PAN-AAECP7512M) रजिस्टर्ड पता-द्वितीय तल, एलडिओ कॉर्पोरेट चैम्बर-1, विभूती खंड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री आशीष सिंह पुत्र श्री हरिवंश नारायण सिंह द्वारा अधिकृत द्वारा बोर्ड रिजल्यूशन दिनांकित- 27.10.2021

शासन की नीतियों पर राजस्व परिषद की पत्र संख्या 2007/12-18 एक/95 दिनांक 20.08.2020 तथा संख्या 9981/12-18 एक/

आप द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र रजिस्ट्रीकृत होने के उपरान्त उसकी एक प्रमाणित प्रति को सब रजिस्ट्रार द्वारा तहसीलदार कार्यालय में उसी दिन प्रेषित किये जाने की व्यवस्था है। इस प्रति के आधार पर न्यायालय में स्वतः प्रारम्भ हो जाती है।

दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में क्रेता द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र वांछित होता है। कि इस अन्तर्ग से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2016 की धारा का उल्लंघन नहीं हुआ है।

क्रेता वांछित शपथ-पत्र तत्काल अथवा एक सप्ताह में सम्बन्धित तहसीलदार/नायब तहसीलदार के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

विक्रेता एवं क्रेता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधी प्राप्ति सूचना हस्ताक्षर इस नोटिस की दूसरी प्रति पर करें, जिसे सब-रजिस्ट्रार द्वारा बनाने की प्रमाणित प्रति जो तहसील को भेजी जाती है के साथ संलग्न कर दिया जाये।

तहसील- सरोजनीनगर / लखनऊ

तहसीलदार-सरोजनीनगर

भारत सरकार
उद्योग विभाग



सिद्धार्थ सिन्हा
Siddharth Sinha
जन्म तिथि/DOB: 23/08/1980
पुल्ल/MALE

9368 3733 0976
UID: 9319724672457340

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय रिपब्लिक प्रजासत्ताक
भारत

पता:
आलय: सूर्य कुमार सिन्हा, 644 लाल निवास
हरदोई, हरदोई, हरदोई प्रखण्ड, हरदोई,
उत्तर प्रदेश - 241001

Address:
S/O: Surya Kumar Sinha, 644 (lal nivas
lucknow road hardoi, hardoi,
Hardoi (Gramin), Hardoi,
Uttar Pradesh - 241001

9368 3733 0976
UID: 9319724672457340

Handwritten signature

S.C = 69,06,167/ =

S.C 69,06,500/ =

87998 - 4,09,500/ =



मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व
वाद संख्या:- 6197/2022

वंशी लाल बनाम सरकार
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202210460006197
अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
आदेश तिथि:- 05/12/2022

अंतिम आदेश

वंशी लाल पुत्र बुद्धा निवासी अमोल, कल्लो पश्चिम परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ द्वारा बीमारी के इलाज हेतु धन की आवश्यकता होने के कारण अपनी प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 101/0.1260 हे0 का 1/2 भाग, 102/0.3790 हे0 का 1/2 भाग कुल दो किता कुल रकबा 0.5050 हे0 का 1/2 भाग विक्रीत रकबा 0.2525 हे0 अपना सम्पूर्ण अंश स्थित ग्राम जैती खेड़ा, परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति प्राइमरी कन्सल्टेशन प्रा0लि0 रजिस्टर्ड पता द्वितीय तल एलिडको कार्पोरेट चैम्बर-1 विभूति खण्ड गोगती नगर लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर आशीष सिंह पुत्र हरिवंश नारायण सिंह के पक्ष में अपनी उक्त को भूमि विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र 3090 राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र- 27 पर प्रस्तुत किया गया।

आवेदक के उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, सरोजनी नगर से जांच करायी गयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनी नगर से प्राप्त आख्या दिनांक 28-10-2022 में आवेदक की उक्त भूमि खसरा संख्या 101/0.1260 हे0 का 1/2 भाग, 102/0.3790 हे0 का 1/2 भाग कुल दो किता कुल रकबा 0.5050 हे0 का 1/2 भाग विक्रीत रकबा 0.2525 हे0 अपना सम्पूर्ण अंश स्थित ग्राम जैती खेड़ा, परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति प्राइमरी कन्सल्टेशन प्रा0लि0 रजिस्टर्ड पता द्वितीय तल एलिडको कार्पोरेट चैम्बर-1 विभूति खण्ड गोगती नगर लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर आशीष सिंह पुत्र हरिवंश नारायण सिंह के पक्ष में विक्रय के सम्बन्ध में संस्तुति की गयी है।

उपजिलाधिकारी, सरोजनी नगर की उक्त आख्या के आधार पर आवेदक को अपनी उक्त भूमि खसरा संख्या 101/0.1260 हे0 का 1/2 भाग, 102/0.3790 हे0 का 1/2 भाग कुल दो किता कुल रकबा 0.5050 हे0 का 1/2 भाग विक्रीत रकबा 0.2525 हे0 अपना सम्पूर्ण अंश स्थित ग्राम जैती खेड़ा, परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर, जिला-लखनऊ को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति प्राइमरी कन्सल्टेशन प्रा0लि0 रजिस्टर्ड पता द्वितीय तल एलिडको कार्पोरेट चैम्बर-1 विभूति खण्ड गोगती नगर लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर आशीष सिंह पुत्र हरिवंश नारायण सिंह के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

1- विक्रीत भूमि के स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के पिरुद विधि के अनुरूप सुसगत बगैरवाही की जायेगी।

2- 3090 राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 99 के प्रस्तर-6(ड.) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिये अनुज्ञा की मांग की जा रही है, भूमि के अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को गृह्य देयता के सम्बन्ध में साक्ष्य स्वरूप विवेक विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के



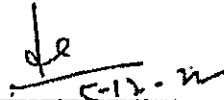


अन्दर विक्रय विलेख की प्रति कार्यालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी। विक्रय विलेख अनिवार्यतः निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार गतवर्ष संहिता में दिये गये प्राविधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3- विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और अराजकाण्य श्रेणी से राजकाण्य श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा-76(4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्रामसभा या राज्य सरकार में निहित भूमी भूमि के या उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिये पात्र नहीं रह जायेगा।

4- उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से दो माह तक अनुमन्य होगी।

तहसील की उक्त आख्या इस आदेश का अंग होगी। आदेश की प्रति उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार, सरोज़नी नगर/प्रभारी अधिकारी(भूमि व्यवस्था) एवं संबंधित उप निबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।


(हिमांशु कुमार गुप्ता)

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

आज दिनांक 5.12.21 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।




(हिमांशु कुमार गुप्ता)

अपर जिलाधिकारी(वित्त एवं राजस्व)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

खाना विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : कैरी खेड़ा	पराना : (विश्वकर्मा)	कवरीतः कोवरी नाग	बनारस : लखनऊ	कवरी वर्ष : 1428-1433 (01 जून, 2020 से 30 जून, 2025)	भाग : 1	खाना संख्या : 00314
खानेदार का नाम / पिता पति संक्रा का नाम / निवास स्थान	खाना संख्या	कैफियत (रि.)	अवस्था	दिप्पनी		
शेरी 1-क / धूम को संक्रमण प्रमाणित के अधिकार में हो।						
कवरीतः / बूझा / नि. अमर म. कल्लो पन्थिम	101	0.1260				
श्रीमती महराना / पत्नी छंगा / नि. श्रीमती, खानिका	102	0.3790				
योग	2	0.5050				

इसका एक कसे की प्रमाणित (गुणवत्ता) के बाद ग्राम / निवास / म. कल्लो (नाम) की) है। इसका संख्या पर विवरण की
Disclaimer: एक अंक में मात्र अक्षरों का नाम है, एक विवरण अमर है, तब हीत कायदा केन्द्र प्राम मी. प्रम. सी/लेव. वपी केन्द्र से उद्घरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि	— रू0 49,50,000 /—
बाजारु मूल्य	— रू0 10,10,000 /—
स्टाम्प शुल्क	— रू0 3,47,000 /—

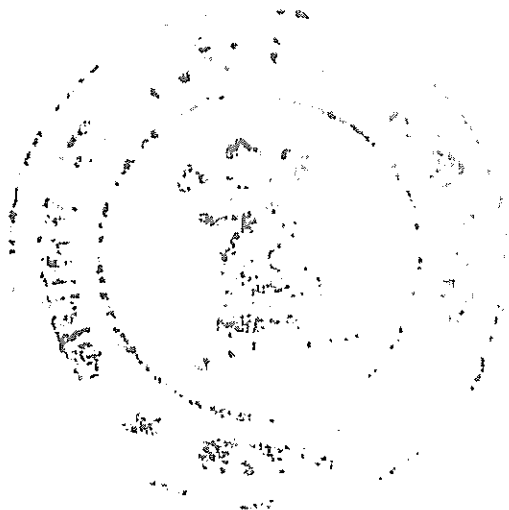
विक्रय विलेख का सक्षिप्त विवरण

1. भूमि का प्रकार — कृषि
2. परगना — बिजनौर
3. ग्राम — जैतीखेड़ा
4. सम्पत्ति का विवरण — भूमि खसरा सं0-101 रकबा 0.1260 हे0 व खसरा सं0-102 रकबा 0.3790 हे0 कुल 2 किता रकबा 0.5050 हे0 का 1/2 भाग अर्थात् कुल विक्रीत रकबा 0.2525 हे0 स्थित ग्राम-जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ।
5. मापन की इकाई — हेक्टेअर में
6. सम्पत्ति का विक्रीत क्षेत्रफल — 0.2525 हेक्टेअर
7. सड़क की स्थिति — किसी भी रोड सेगमेंट पर स्थित नहीं है।
8. अन्य विवरण — कुछ नहीं है।
9. सम्पत्ति का प्रकार — कृषि
10. पेड़ों, कुआं, बोरिंग आदि — नहीं

पंजीला

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



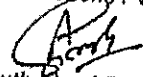
प्रथम पक्ष की संख्या-1	: द्वितीय पक्ष की संख्या-1
विक्रेता का विवरण	: क्रेता का विवरण
बंशी लाल पुत्र बुद्धा, निवासी-अमोल, कल्ली पश्चिम, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ।	प्राइमैसी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड :Primacy Constructions Private Limited (PAN-AAECP7512M) रजिस्टर्ड पता-द्वितीय तल, एल्लिको कॉर्पोरेट चैम्बर-1, विभूती खंड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री आशीष सिंह पुत्र श्री हरिवंश नारायण सिंह हाल पता -मार्केटिंग आफिस, एल्लिको शौर्या बिजनौर रोड, लखनऊ,द्वारा अधिकृत द्वारा बोर्ड रिजल्यूशन दिनांकित- 27.10.2021

यह विक्रय विलेख बंशी लाल पुत्र बुद्धा, निवासी-अमोल, कल्ली पश्चिम, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ, जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है (जिसके अन्तर्गत विक्रेता के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित हैं)।

एवम्

बंशी लाल

Primacy Constructions Pvt. Ltd.


Authorised Signatory



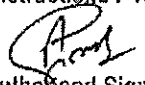
प्राइमैसी कन्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड :Primacy Constructions Private Limited (PAN-AAECP7512M) रजिस्टर्ड पता—द्वितीय तल, एलिङको कॉर्पोरेट चैम्बर—1, विभूती खंड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी श्री आशीष सिंह पुत्र श्री हरिवंश नारायण सिंह हाल पता —मार्केटिंग आफिस, एलिङको शौर्या बिजनौर रोड, लखनऊ, द्वारा अधिकृत द्वारा बोर्ड रिजल्यूशन दिनांकित— 27.10. 2021, जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है (जिसके अन्तर्गत क्रेता के विधिक उत्तराधिकारी, वारिसान एवं निष्पादकगण सम्मिलित हैं) के मध्य निष्पादित किया गया।

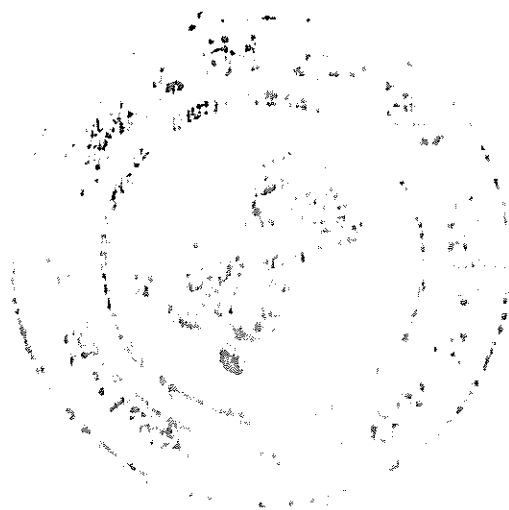
यह कि विक्रेता भूमि खसरा सं०—101 रकबा 0.1260 हे० व खसरा सं०—102 रकबा 0.3790 हे० कुल 2 कित्ता रकबा 0.5050 हे० का 1/2 भाग अर्थात् कुल विकीत रकबा 0.2525 हे० स्थित ग्राम—जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ, का मालिक, कामिल व काबिज हैं एवं विक्रेता का नाम राजस्व अभिलेखों में संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

यह कि विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य है इसलिए उपरोक्त भूमि खसरा सं०—101 रकबा 0.1260 हे० व खसरा सं०—102 रकबा 0. 3790 हे० कुल 2 कित्ता रकबा 0.5050 हे० का 1/2 भाग अर्थात् कुल विकीत रकबा 0.2525 हे० स्थित ग्राम—जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ, को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति (उपरोक्त क्रेता) के पक्ष में विक्रय अनुमति न्यायालय अपर

अशोक लाल

Primacy Constructions Pvt. Ltd.


Authorised Signatory



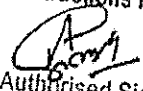
जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, लखनऊ वाद सं०-6197/2022 बंशी लाल आदि बनाम सरकार कम्प्यूटरिकृत वाद सं०-डी 202210460006197 अन्तर्गत धारा 98 (1) उ०प्र० राजस्व सहिता 2006 आदेश दिनांक 05.12.2022 के द्वारा उपरोक्त क्रेता के पक्ष में विक्रय अनुमति प्रदान की गई है।

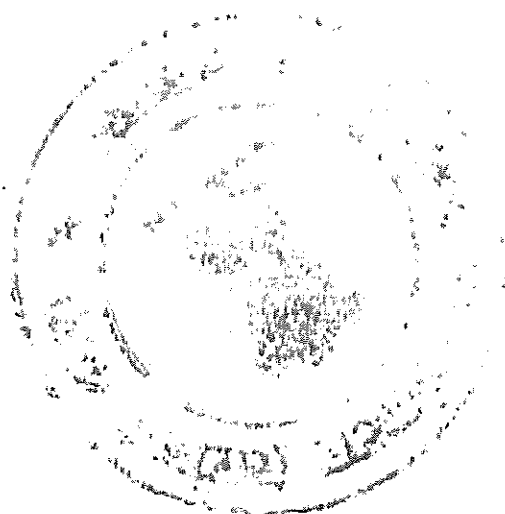
यह कि विक्रेता को उक्त भूमि को विक्रय करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। विक्रेता उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है तथा उक्त भूमि सीलिंग, ग्राम समाज, भूदान व पट्टे की भूमि नहीं है।

यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होंगे। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुक्र इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रु० 49,50,000/- (उनचास लाख पचास हजार पाँच

बंशीलाल

Primacy Constructions Pvt. Ltd.


Authorised Signatory



सौ मात्र) के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करता है, तदनुसार विक्रेता उक्त क्रेता को भूमि खसरा सं०-101 रकबा 0.1260 हे० व खसरा सं०-102 रकबा 0.3790 हे० कुल 2 किता रकबा 0.5050 हे० का 1/2 भाग अर्थात् कुल विक्रीत रकबा 0.2525 हे० स्थित ग्राम-जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ, को विक्रेता अपना संपूर्ण हिस्सा इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहे हैं। जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान,

अजी लाल

Primacy Constructions Pvt. Ltd.


Authorized Signatory



निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरिये अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होंगे।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेगा, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

यह कि भूमि में कोई पेड़, इमारत आदि नहीं है, व किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है।

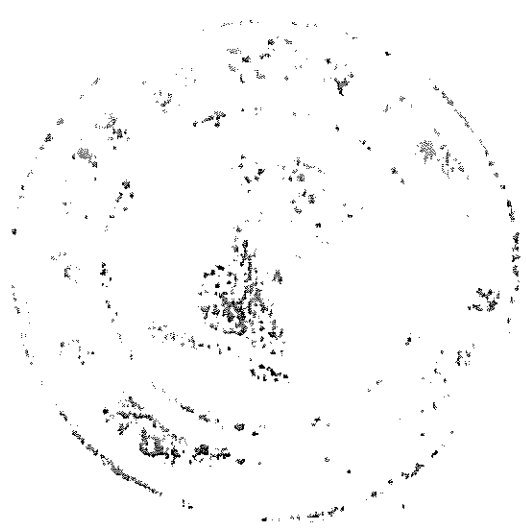
उक्त आराजी विक्रेता के कब्जे व दखल मालिकाना में मौजूद है, जो जुमला हर किस्म के इन्तकालात मिस्ल रेहन व बय व इकरारनामा व हिबा व जमानत व मुकदमा व कर्जा/ऋण आदि से बिल्कुल बरी व पाक साफ है।

यह कि उक्त आराजी लखनऊ विकास प्राधिकरण व आवास एवं विकास परिषद् या अन्य किसी सरकारी व गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं किया गया है। उक्त आराजी को विक्रय करने के विक्रेता को समस्त कानूनी हक व अधिकार हासिल हैं।

अंशिलाल

Primacy Constructions Pvt. Ltd.


Authorised Signatory

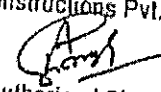


यह विक्रय विलेख पक्षकारों द्वारा दिये कागजातों एवं उनके द्वारा बताये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उभय पक्षों पर होगी।

यह कि आराजी बयशुदा उपरोक्त राष्ट्रीयमार्ग, राज्य मार्ग, जनपदीय मार्ग आदि पर स्थित नहीं है, यह कि उपरोक्त सम्पत्ति नगर निगम की सीमा से बाहर स्थित है तथा ग्राम जैतीखेडा ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है यह कि विक्रीत सम्पत्ति की 200 मीटर की परिधि में कोई आबादी नहीं है, चूंकि विक्रीत सम्पत्ति के आस पास आवासीय गतिविधियां विद्यमान है, जिसका निर्धारित सरकिल रेट रू0 40,00,000/- प्रति हेक्टेयर के हिसाब से विक्रीत रकबा 0.2525 हेक्टेअर की मालियत रू0 10,10,000/- होती है, जो कि विक्रय मूल्य से कम है, इसलिए नियमानुसार 7 प्रतिशत की दर से विक्रय मूल्य पर ही रू0 3,47,000/-का ई-स्टाम्प क्रेता द्वारा अदा किया जा रहा है।

यह कि लेख पत्र में स्टाम्प को प्रभावित करने वाले सभी तथ्यों का पूर्णतया सत्यतापूर्वक उल्लेख कर दिया गया है। कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उक्त विक्रय पत्र पक्षकारों द्वारा दिये गये कागजातों व उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर लिखा गया है जिसकी समस्त जिम्मेदारी हम दोनो पक्षों पर होगी। लेख पत्र को उभय पक्षों ने भली-भाँति पढ़, सुन व समझकर हस्ताक्षर/निशानी अंगूठा किया है तथा प्रथम पक्ष ने अपनी आवश्यकता के लिए नीचे दिये गये विवरण के अनुसार रुपया प्राप्त कर लिया है तथा दोनो पक्षों के फोटो की पहचान उनके द्वारा दाखिल कराये गये साक्ष्यों के आधार पर हो गयी है।

रंजित लाल

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

Authorised Signatory



यह कि ऊपर प्रयोग किये गये शब्दों "विक्रेता" एवं "क्रेता" में जब तक वे प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उनके विधिक प्रतिनिधिगण व उत्तराधिकारीगण भी सम्मिलित हैं।

यह विक्रय पत्र प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष के पक्ष में बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ चित्त मन से समक्ष गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पड़ने पर बतौर साक्ष्य काम आवे।

विक्रीत सम्पत्ति का विवरण

भूमि खसरा सं०-101 रकबा 0.1260 हे० व खसरा सं०-102 रकबा 0.3790 हे० कुल 2 किता रकबा 0.5050 हे० का 1/2 भाग अर्थात् कुल विक्रीत रकबा 0.2525 हे० स्थित ग्राम-जैतीखेड़ा, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर जिला लखनऊ, जिसकी चौहददी निम्नवत् है:-

चौहददी खसरा नं० 101

पूरब : खसरा नं० 106 व 107
पश्चिम : खसरा नं० 102
उत्तर : खसरा नं० 101 का शेष भाग
दक्षिण : खसरा नं० 99

चौहददी खसरा नं० 102

पूरब : खसरा नं० 105 व 101
पश्चिम : खसरा नं० 82
उत्तर : खसरा नं० 102 का शेष भाग
दक्षिण : खसरा नं० 100

परिशिष्ट: भुगतान विवरण

रु० 49,50,000/-द्वाराआर०टी०जी०एस०HDFCR52023020380211100 दिनांकित 03.02.2023, क्रेता से प्राप्त किया है जिसकी प्राप्ति को विक्रेता स्वीकार करता है।

अशोक लाल

Primacy Constructions Pvt. Ltd.



Authorised Signatory

कमीशन मुष्टि विलेख - धारा-52

आवेदन सं०: 202301041005546

विक्रय पत्र

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3503

वर्ष: 2023

प्रतिकल- 4950000 स्टाम्प शुल्क- 347000 बाजारी मूल्य- 1010000 पंजीकरण शुल्क- 49500 प्रतिनिधिकरण शुल्क- 80 योग : 49580

प्रार्थना पत्र कमीशन दिनांक द्वारा
श्री. प्राईमैसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आशीष सिंह
अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
के क्रम में
मैं उप निबंधक : वन्दना
जनपद : सरोजनीनगर लखनऊ



श्री. प्राईमैसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
आशीष सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
हरिवंश नारायण सिंह
व्यवसाय : नौकरी
निवासी : मार्केटिंग ऑफिस एल्टिको शीर्षा बिजनेस रोड लखनऊ

श्री. प्राईमैसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा
आशीष सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि

पर उपस्थित हुआ। उक्त श्री प्राईमैसी कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आशीष सिंह अधिकृत पदाधिकारी/ प्रतिनिधि
द्वारा यह लेखपत्र निबंधन हेतु मेरे समक्ष
समय 03/02/2023 एवं 07:38-08 PM बजे उक्त निवास/अन्य स्थान पर प्रस्तुत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


उप निबंधक : सरोजनीनगर
लखनऊ

03/02/2023


निबंधक लिपिक
राम सागर विपाठी

छिंट करें

इस प्रकार कुल विक्रय मूल्य रू0 49,50,000/- (उनचास लाख पचास हजार पाँच सौ मात्र) विक्रेता ने क्रेता से उपरोक्तानुसार प्राप्त कर लिया है तथा अब कुछ भी पाना शेष नहीं है।

लिहाजा यह विक्रय विलेख कतई विक्रेता ने अपनी राजी खुशी से खूब सोच व समझकर बिना दबाव नाजायज किसी के बदुरुस्ती होश हवास में क्रेता के हक में रुबरु गवाहान लिख दिया ताकि सनद रहे और समय पर काम आवे।

लखनऊ।

दिनांक : 03.02.2023

गवाहान:



Siddharth
सिद्धार्थ सिन्हा

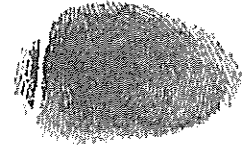
पुत्र सूर्य कुमार सिन्हा
निवासी 644, लाल निवासी
लखनऊ रोड, हरदोई।



Ranvir
रणवीर सिंह यादव पुत्र बाबू लाल
निवासी- 39, नूर नगर भदरसा
चन्द्रावल लखनऊ।

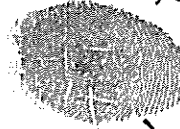
टाईप्रकर्ता:

(संदीप)



खेप्पी लाल
विक्रेता

Primacy Constructions Pvt. Ltd.



Authorised Signatory

क्रेता

मसविदाकर्ता

B.R.S.

(बेंकट रमन सिंह)

एडवोकेट

वही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 3503

वर्ष: 2023

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने गजगुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री वंशी लाल, पुत्र श्री बुद्धा

निवासी: अमोल कल्सी पश्चिम परगना विजौनौर तहसील सरोजनी नगर लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

क्रमांक: 1

श्री प्राइमोसी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आशीष सिंह, हरिवंश नारायण सिंह

निवासी: मार्केटिंग ऑफिस एलिउको शीर्षा बिजौनौर रोड लखनऊ

व्यवसाय: नौकरी



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता: 1

श्री सिद्धार्थ सिन्हा, पुत्र श्री सूर्य कुमार सिन्हा

निवासी: 644 साल निवास लखनऊ रोड, हरदोई उत्तर प्रदेश

व्यवसाय: नौकरी

पहचानकर्ता: 2

श्री रणवीर सिंह यादव, पुत्र श्री बाबू लाल

निवासी: 39, नूर नगर भदरसा, चंद्रावल, लखनऊ

व्यवसाय: वकालत



रजिस्ट्रार अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

03/02/2023

राम सागर त्रिपाठी

निबंधक लिपिक लखनऊ

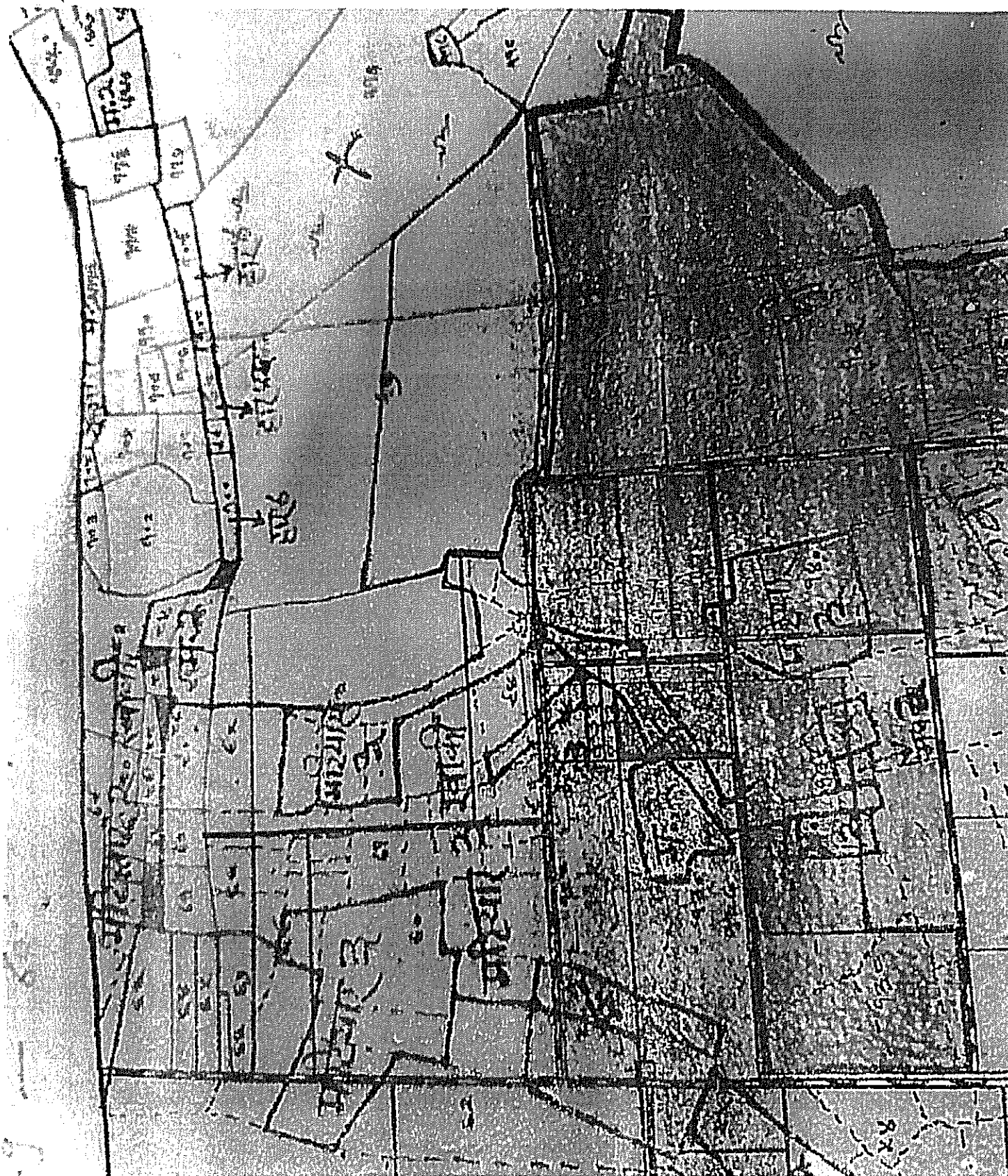
03/02/2023

ने की। प्रत्यक्षतः श्राद्ध साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी: प्रतिफल के प्राप्ति की विक्रेता द्वारा लेखपत्र में अंकित विवरण अनुसार पुष्टि की गई।

पिंट कर

लेखपत्र



श्री लाल

Primacy Constructions Pvt. Ltd.

[Signature]
Authorised Signatory

आवेदन सं०: 202301041005546

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 10227 के पृष्ठ 101 से 124 तक क्रमांक 3503 पर दिनांक
03/02/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर


वन्दना ..

उप निबंधक : सरोजनीनगर

लखनऊ

03/02/2023

